स्कूलों में शिक्षकों का होगा पुलिस वेरीफिकेशन

2016-09-05 14:35:09

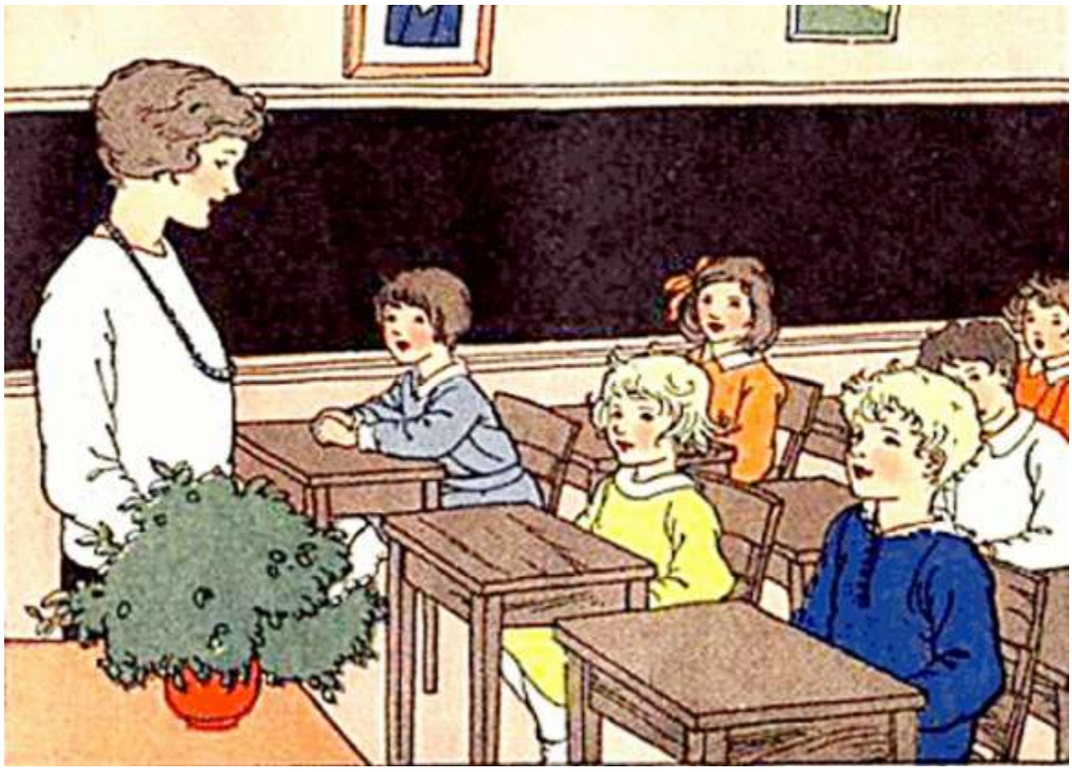

श्योपुर. स्कूलों में पढ़ाने वाले स्टाफ का अब नियुक्ति के साथ ही पुलिस वेरीफिकेशन कराना जरूरी होगा। इसके साथ ही स्टाफ से शपथ पत्र भी लिया जाएगा। स्कूलों में सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम भी किए जाएंगे। चाहे वे सरकारी स्कूल हों या प्राइवेट। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग और आयुक्त लोक शिक्षण ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रदेशभर के डीईओ को इस संबंध में पत्र जारी किया है।

बताया गया है कि शिक्षकों का पुलिस वेरीफिकेशन होने के बाद संबंधित की सारी जानकारी पुलिस के पास मौजूद रहेगी। ऐसे में यदि कोई शिक्षक किसी तरह के अपराध में भी लिप्त होता है तो संबंधित पुलिस की नजर में रहेगा और उसकी गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी।

यहां बताना होगा कि दिल्ली, भोपाल, रांची और कर्नाटक के स्कूलों में बच्चों की हादसे में हुई मौत के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है। इसके लिए बाल अधिकार आयोग ने सभी स्कूलों में सुरक्षा इंतजाम करने के लिए पत्र भेजा गया है।उनका मानना है कि बड़े शहरों की तरह सभी स्कूलों में सुरक्षा के इंतजाम होना चाहिए। इससे स्कूली बच्चों के साथ होने वाले हादसे रुक सकेंगे।

स्कूल में सुरक्षा के इंतजाम भी किए जाएंगे

अगर किसी भी स्कूल में सुरक्षा के हिसाब से कमियां पाई जाती हैं तो संबंधित कमियों को दूर कराया जाएगा। स्कूलों के स्टाफ भर्ती सिस्टम में यह अनिवार्य कर दिया जाए कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का पुलिस वेरीफिकेशन कराया जाए और शपथ पत्र भी लिया जाए।

राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के पत्र के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में सभी संभागीय अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है।

अभी तो ऐसा आदेश मिला नहीं है। यदि आदेश मिलेगा तो उसका पालन कराए जाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। ताकि कहीं कोई हादसे की स्थिति न बने।

अजय कटियार, डीईओ श्योपुर